न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 28–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 17–12–12 पारित अनुविभागीय अधिकारी, सागर जिला सागर प्रकरण कमांक 73/अ–6/2011–12 अपील.

बाबूलाल चौरसिया पुत्र स्व. रामरतन चौरसिया
निवासी पुरप्याऊ टौरी, सागर जिला सागर

—— आवेदक

विरूध्द

1– श्रीमती सावित्री देवी पत्नी हरबंसलाल
2– नरेन्द्रकुमार पुत्र स्व. हरबंसलाल
दोनों नि0 जनता कॉलोनी, म.नं. एल आई 7,
राजनंदगॉव, छत्तीसगढ़
3– अनिल कुमार चौरसिया पुत्र स्व. हरबंसलाल
नि0 म.नं 40, विवेकानंद नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

–– अनावेदकगण

4– जगदीश प्रसाद पुत्र दीनदयाल विश्वकर्मा
नि0 काकागंज वार्ड, सागर, म0प्र0

---फॉरमल अनावेदक

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक – आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक– अनावेदक क0–1 से 3
श्री आर.आर. सेंगर, अभिभाषक– अनावेदक क0–4

आदेश

(आज दिनांक 20.5.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय

अधिकारी, सागर जिला सागर के प्रकरण कमांक 73/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–12–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि स्व. हरवंश चौरसिया के उत्तराधिकारी अनावेदक क0–1 से 3 ने नामान्तरण पंजी क0 105 पर पारित आदेश दिनांक 25–04–90 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 29–02–12 को प्रस्तुत की गयी। समयावधि विधान की धारा 5 पर बहस हेतु समय चाहे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा 6–11–12 को समय प्रदान कर आगामी तिथि नियत की। नियत दिनांक 24–11–12 को समयावधि विधान की धारा 5 पर बहस प्रस्तुत नहीं करते हुए प्रति–अपीलार्थी/आवेदक व्दारा सी पी सी की धारा 10 सहपठित धारा 43 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर इन्हीं पक्षकारों के मध्य पंचम अपर जिला न्यायाधीश, सागर के न्यायालय में व्यवहार वाद क0 17ए/2012 विचाराधीन होने से प्रकरण स्थगित किये जाने का अनुरोध किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17–12–12 में यह निष्कर्ष निकाला है कि न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेश के विरूध्द अपील सुनने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा मान. पंचम जिला न्यायालय व्दारा ऐसा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है कि प्रकरण की कार्यवाही रोकी जाय। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक का सीपीसी की धारा 10 सहपठित धारा 43 का आवेदनपत्र खारिज किया है। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक व्दारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार, सागर व्दारा विधिवत इश्तहार जारी करते हुए कोई आपत्ति नहीं आने पर दिनांक 25.04.1993 को विक्रयपत्र के

आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया है जिसकी जानकारी आदेश दिनांक 25.04.1993 से ही अनावेदक क0–1 से 3 को थी, किन्तु उनके व्दारा निर्धारित समयावधि में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 18 वर्ष पश्चात अनावेदक क0–1 से 3 ने अपील प्रस्तुत की है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदनपत्र में जानकारी का कोई स्त्रोत अंकित नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई स्पष्टीकरण दिया कि उनके व्दारा इतने विलम्ब से अपील प्रस्तुत क्यों की जा रही है। स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का उन्हें अधिकार नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक क0–1 से 3 ने स्वत्व के निराकरण के लिये दीवानी न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है जिसका निराकरण दीवानी न्यायालय व्दारा किया जाना है। मान. उच्चतम न्यायालय व्दारा कई प्रकरणों में यह सिध्दान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक–ही भूमि के संबंध में समानांतरण कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः यह मुद्दा आवेदक व्दारा धारा 10 सीपीसी सहपठित धारा 43 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण स्थगित करने का अनुरोध किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कोई निष्कर्ष निकाले बिना आवेदनपत्र निरस्त किया गया है। उनका अन्त में यह तर्क है कि रजिस्टर्ड विकयपत्र की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इसलिये राजस्व न्यायालय को सिविल न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित कर देना चाहिये। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक क0–1 से 3 के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 430/1 रकबा 2.95 एकड़ राजस्व अभिलेख में अनावेदक क0–1 के पति एवं अनावेदक क0–2 एवं 3 के पिता स्व. हरवंश चौरसिया के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित थी। श्री हरवंश चौरसिया की मृत्यु 1987 में हो जाने पर अनावेदक क0–1 अपने पुत्र के साथ छत्तीसगढ़ में रहने लगी।

आवेदक व्दारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क0–4 जगदीशप्रसाद से पंजीयत विकयपत्र दिनांक 23.03.1990 व्दारा कय कर संशोधन पंजी कमांक 105 में नामान्तरण आदेश दिनांक 25–04–1990 पारित करा लिया है। इस आदेश की जानकारी सागर आने पर पटवारी से होने पर अनावेदक क0–1 से 3 व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनका तर्क है कि अनावेदक क0–4 ने अनावेदक क0–1 से 3 की ओर से कारंदानामा के आधार पर विकयपत्र निष्पादित किया है, जबकि वह अनावेदक क0–4 को जानते भी नहीं हैं। उनका तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील नामान्तरण पंजी कमांक 105 आदेश दिनांक 25–04–1990 के विरूध्द प्रस्तुत की गयी है, जबकि व्यवहार न्यायालय में वाद बैनामा दिनांक 23.03.1990 को शून्य एवं स्वत्व घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है, इसलिये दोनों प्रकरण अलग–अलग हैं, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक का आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अन्त में उनका तर्क है कि नामान्तरण के पूर्व नामान्तरण प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। एक–ही संशोधन पंजी पर फौती दर्ज कर उसी पंजी पर विकयपत्र के आधार पर आवेदक का नामान्तरण किया गया है। इस संबंध में उन्होंने मेरा ध्यान 2007 रा.नि. 203, 1998 रा.नि. 168, 1998 रा.नि. 240 तथा 1998 रा.नि. 264 की ओर आकर्षित कर निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ नामान्तरण पंजी की प्रविष्टी क0 105 का मैने अवलोकन किया। नामान्तरण पंजी के कॉलम नं0 6 में यह अंकित है–

" विरासत हक में पिता/पति हरवंश फोत होने के कारण वारिश सावित्री देवी बेवा हरवंश, नरेन्द्रकुमार अनिलकुमार पिस. हरवंश का नाम दर्ज हों।

खरीद हक्क में बाबूलाल वल्द रामरतन ने सावित्री देवी बेवा हरवंश नरेन्द्रकुमार अनिलकुमार पिता हरवंश व्दारा कारन्दाआम 1–3 की ओर से

जगदीश वल्द दीनदयाल से भूमि 2.95 मुक. 30,000/–रू. में खरीदने के कारण बै.दि. 23–3–90 रजि.''

उक्त प्रविष्टि को तहसीलदार व्दारा दिनांक 25–4–90 को प्रमाणिकृत किया गया है। नामान्तरण पंजी में प्रमाणीकरण के पूर्व इश्तहार जारी करने व आपत्ति प्राप्त नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है और इस पंजी पर अनावेदक क0–1 से 3 में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर तहसीलदार उसे विहित रति से ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को, जो कि उसे नामान्तरण में हितबध्द प्रतीत हों, को देगा। नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार भी नामान्तरण के पूर्व विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराना एवं हितबध्द पक्षकार पर व्यक्तिशः सूचनापत्र की तामीली की जाना आवश्यक है, किन्तु तहसीलदार व्दारा नामान्तरण पंजी में नामान्तरण करने के पूर्व इन विहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। संहिता की धारा 47 के व्दितीय परन्तुक में यह प्रावधान है कि ऐसा पक्षकार जिसके विरूध्द एकपक्षीय आदेश पारित नहीं किया गया हों, उसे आदेश पारित करने की पूर्व सूचना ना हों तो समयावधि की गणना ऐसे आदेश की संसूचित किये जाने के दिनांक से की जायेगी। तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व ना तो विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया गया और ना ही आदेश पारित करने के पूर्व अनावेदक क0–1 से 3 पर सूचनापत्र तामील किया गया और ना ही आदेश पारित करने के पश्चात आदेश की संसूचना ही अनावेदक क0–1 से 3 को दी गयी, इस कारण संहिता की धारा 47 के व्दितीय परन्तुक के अनुसार ऐसे प्रकरणों में समयावधि की गणना आदेश की जानकारी के दिनांक से की जायेगी, ना कि आदेश के दिनांक से। ऐसी दशा में आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील आदेश के 18 वर्ष बाद प्रस्तुत करने से समयावधि बाह्य है, प्रथमदृष्टया मान्य योग्य नहीं है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध विकयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि की छाया प्रति एवं नामान्तरण पंजी में क0 105 में अंकित तथ्य से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि विरासतन हक्क में पिता/पति हरवंश की मृत्यु होने के कारण अनावेदक क0–1 से 3 के नाम दर्ज करने तथा अनावेदक क0–1 से 3 की ओर से कारन्दाखास जगदीशप्रसाद विश्वकर्मा पुत्र दीनदयाल विश्वकर्मा व्दारा रजिस्टर्ड विकयपत्र निष्पादित करने के आधार पर आवेदक केता बाबूलाल के नाम नामान्तरित की गयी है। नामान्तरण नियमों के नियम 32 के अनुसार संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत राजस्व पदाधिकारी व्दारा नामान्तरण स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के पश्चात किये जाने का प्रावधान है, इसलिये नामान्तरण के पूर्व राजस्व पदाधिकारी को विकयपत्र की वैधता की प्रथमदृष्टीय जॉच करने पर स्वत्व का विधिवत अन्तरण होने पर ही नामान्तरण किया जा सकता है अन्यथा नहीं। राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने बालाप्रसाद चौरसिया वि. प्रेमनारायण तथा अन्य (1998 रा.नि. 231) में यह व्यवस्था दी है कि –

"नामान्तरण पर विचार करते समय राजस्व न्यायालय को यह अधिकार है कि वह विकयपत्र की वैधता की प्रथमदृष्टीय जॉच करें तथा यदि विकयपत्र अवैध या अस्पष्ट या अनाधिकृत व्यक्ति व्दारा किया जाना पाया जाता है और अर्जित स्वत्व संदिग्ध रूप का है तो ऐसे विकयपत्र पर से नामान्तरण आवेदन अस्वीकार करें। यह उल्लेखनीय है कि विकयपत्र को अवैध घोषित नहीं किया जाता बल्कि इसके आधार पर नामान्तरण से इन्कार किया जाता है। प्रभावित व्यक्ति व्यवहार न्यायालय से अपने स्वत्व घोषणा करा सकता है।"

ऐसी दशा में अनावेदक क0–1 से 3 के कारन्दाखास अनावेदक क0–4 जगदीशप्रसाद व्दारा निष्पादित प्रश्नाधीन भूमि के पंजीयत विकयपत्र के आधार पर नामान्तरण करने के पूर्व इस तथ्य की जॉच नियम 32 के अन्तर्गत राजस्व

पदाधिकारी व्दारा की जा सकती है कि कारन्दाखास अनावेदक क0–4 व्दारा किये गये विकयपत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर केता आवेदक को स्वत्व का अन्तरण विधिवत हुआ या नहीं ? ऐसी दशा में आवेदक के अभिभाषक का यह तर्क भी प्रथम दृष्टया मान्य योग्य नहीं है कि राजस्व न्यायालय को पंजीयत विकयपत्र की वैधता की जॉच करने की अधिकारिता नहीं है।

7/ अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक क0–1 से 3 ने नामान्तरण पंजी में क0 105 पर पारित आदेश दिनांक 25–4–90 के विरूध्द संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गयी है। तहसील न्यायालय के अंतिम प्रकृति के आदेश के विरूध्द संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील सुनने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को हों। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत नामान्तरण आदेश विहित प्रकिया का पालन करने के पश्चात विधिवत स्वत्व अन्तरण होने पर किया गया है या नहीं, इसका निर्धारण अपील में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा किया जा सकता है, इस कारण सिर्फ प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा का वाद विचाराधीन होने से अनुविभागीय अधिकारी को अपील श्रवण करने की अधिकारिता नहीं है, यह मान्य नहीं किया जा सकता। सिविल न्यायालय व्दारा व्यवहार वाद में अपील प्रकरण की कार्यवाही रोके जाने के संबंध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदक का सीपीसी की धारा 10 सहपठित धारा 43 का आवेदनपत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 17–12–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0